प्रेषक

सचिव
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–बे0शि0प0 / 4436–4624 / 2026–27 दिनांक 16.06.2026

विषयः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–405 / ए0सी0एस0(बेसिक / माध्यमिक शिक्षा) / 2026 दिनांक 16.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में है। इस संबंध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः–

1. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
2. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वर्ष 2026 से बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र–छात्राओं हेतु 20 मई से 24 जून, 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून. 2026 से नियमित पठन–पाठन हेतु विद्यालय खुलेंगे।
3. ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 25 जून को पठन–पाठन के प्रारम्भ होने से पहले विद्यालय में आवश्यक तैयारी / प्रबंधन जैसे लेसन प्लान बनाना, मिड डे मील की तैयारी, पाठ्य–पुस्तक की तैयारी, विद्यालय शिक्षा समिति की भागीदारी को प्रेरित करने हेतु बैठक कर समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, विद्यालय में बाल–वाटिका की तैयारी करना, विद्यालय परिसर, रसोई एवं शौचालय की साफ–सफाई, खेल सामग्री की उपलब्धता आदि सुनिश्चित कर ली जाय। इसी प्रकार यदि विद्यालय में स्मार्ट क्लास / आई0सी0टी0 लैब हों तो उनको क्रियाशील रखना, बिजली कनेक्शन को चालू रखना एवं पेयजल शौचालयों में पानी आदि की व्यवस्था भी कर ली जाय। उक्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक वर्ष दिनांक 22, 23 एवं 24 जून, 2026 को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जब छात्र–छात्राएं 25 जून को विद्यालय में आयें तो उनका नियमित पठन–पाठन शुरू हो सके।
4. प्रत्येक वर्ष 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र–छात्राओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास सुनिश्चित किया जाए।
5. उपरोक्त के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि आर0टी0ई0 एक्ट के अन्तर्गत परिभाषित शैक्षिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन पठन–पाठन अवश्य हो।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
16.6.26
(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज।

पृ०सं०: बे0शि0प0/ 4436–4624 /2026–27 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, शासन।

2– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

3– जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

4– मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।

5– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।

6– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मण्डल, उ0प्र0।

16.6.26

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
प्रयागराज।